न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. मोहनराम पुत्र रामाराम जाट
2. नारायणराम पुत्र रामाराम जाट
3. बालूडी बेवा गंगाराम जाट
4. भंवरलाल पुत्र गोमाराम जाट
   सा. हुक्मपुरा तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बन्नेसिंह पुत्र बुद्धसिंह उर्फ भंवरसिंह
   1/1 मोहनसिंह पुत्र बन्नेसिंह
   1/2 जीवणसिंह पुत्र बन्नेसिंह
   1/2/1 दलीपसिंह पुत्र जीवणसिंह
   1/2/2 नरेन्द्रसिंह पुत्र जीवणसिंह
   1/2/3 उकारसिंह पुत्र जीवणसिंह
   1/2/4 गोपीसिंह पुत्र जीवणसिंह
2. मूलसिंह पुत्र बुद्धसिंह उर्फ भंवरसिंह
   2/1 राजेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह
3. उम्मेदसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
4. भैरोसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
5. फतेहसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
6. चैनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
7. प्रभूसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
8. प्रेमसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
   राजपूत सा. हुक्मपुरा
9. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– घोषणा, दुरूस्ती रेकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गोपालराम पुनियां अधिवक्ता वादीगण
श्री हितेन्द्र कुमार अधिवक्ता प्रतिवादीगण

मुकदमां नम्बर :– 2018/00097

निर्णय दिनांक :– 06.09.2021

निर्णय

1. वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम हुक्मपुरा गत खसरा नम्बर 592 नये खसरा नम्बर 24 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि जिसकी किस्म गै.मु. ढाणी है जिसमें वादीगण सुदीर्ध काल से रहवासीय मकानात बनाकर मवेशियो के लिये बाडे बना कर निवासर कर रहे है, मकानो में बिजली कनेक्श हो रखे है पिछले 100 वर्षो काबिज चले आ रहे है वर्तमान में ढाणी भींचरो की ढाणी के नाम से पहचानी जाती है ढाणी से उत्तरी तरफ लगता हुआ ही वादीगण की खातेदारी सुदा भूमि आयी हुई है जिसमें कुआ बना हुआ है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है प्रतिवादीगण को भी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

वादीगण के मकान, बाडे, पानी के होद आदि की जानकारी है जिन्होंने कभी भी वादीगण को तंग एवं परेशान नहीं किया है वादीगण अपने रहवासीय मकानो के पट्टे बनवाने हेतु जब ग्राम पंचायत गये तो उन्हे बताया ढाणी की जमाबन्दी लेकर आवो पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने की जानकारी में आया वादीगण की सम्पूर्ण ढाणी खसरा नम्बर 24 रकबा 0.28 हैक्टयर प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादीगण प्रतिवादीगण के पास जाकर उन से समझाईश की तो उनके द्वारा साफ इन्कार करने पर यह वाद पेश किया है वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम हुक्मपुरा के खसरा नम्बर 24 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि वादीगण की खातेदारी में घोषित करने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ की है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.11.2018 को वादीगण व प्रतिवादी 1/1, 1/2/1, 1/2/4, 2/1, 6 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बकाया प्रतिवादीगण के सम्मन दिनांक 04.12.2019 को तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। साक्ष्य वादी में वादी नारायण, भंवरलाल एवं गवाह किशनाराम, श्योजीराम, धन्नाराम के बयान लिये गये बारे साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की गई।
3. वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों व बहस पर मनन किया गया।
4. वादीगण ने वाद के साथ प्रदर्श– 1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पेश की है, जिसमे ग्राम हुक्मपुरा के खसरा नम्बर 24 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि किस्म गै.मु. ढाणी बन्नेसिंह, मूलसिंह, प्रहलादसिंह पि. बुद्धसिंह उर्फ भंवरलाल कौम राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है जिसमें प्रहलासिंह पुत्र बुद्धसिंह उर्फ भंवरसिंह फौत होने पर उसके स्थान पर उम्मेदसिंह, भैरोसिंह, फतेहसिंह, चैनसिंह, प्रभुसिंह, प्रेमसिंह पि. प्रहलादसिंह का नाम दर्ज है। वादीगण ने चार घरेलू विधुत कनेक्शन के बिलो की प्रति पेश की है, जिसमें भी भीचरो की ढाणी हुक्मपुरा पता अंकित है तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि की प्रतियां पेश की है। प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर स्वीकार किया है कि हुक्मपुरा तन भीचरो की ढाणी खसरा नम्बर 24 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि है जिस पर प्रारम्भ से ही कब्जा एवं रहवास वादीगण के बने हुए है तथा वादीगण के कब्जे स्वामित्व में ही है लेकिन राजस्व रेकार्ड में सहवन से हमारा नाम चला आ रहा है जबकि इस भूमि पर हम प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

व हमारे पूर्वजो का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं है केवल पडौस में हमारी खातेदारी की भूमि होने मात्र से इस भूमि में हम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई, इस भूमि में से हम प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है ना ही कोई उजर व एतराज है। गवाह धन्नाराम पुत्र हरदीनराम उम्र 65 वर्ष ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि ग्राम हुक्मपुरा के खसरा नम्बर 24 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि गै.मु. ढाणी जिसका बोलता नाम भीचारो की ढाणी है को में जानता हूँ मैं इसका पडौसी हूँ मैने अपनी समय समझाईस से उक्त भूमि पर वादीगण का की कब्जा व मकानात देखे है प्रतिवादीगण का इस ढाणी पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं रहा है, इसी प्रकार गवाह श्योजीराम पुत्र भूराराम उम्र 75 वर्ष ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि इस भूमि में वादीगण के मकानात वर्षो से बने हुए है वादीगण के पूर्वजो से ही इस भूमि पर स्थाई रूप से निवास करते है, राशनकार्ड, पहचान पत्र सभी इसी ढाणी के नाम से बने हुए है, किशनाराम पुत्र नंदाराम उम्र 60 वर्ष ने भी इसी प्रकार उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा व मकानात होना बताया है। प्रस्तुत दस्तोवजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रतिवादीगण स्वंय द्वारा राजीनामा में की गई स्वाकारोती से साबित होता है कि उक्त भूमि वादीगण स्थाई रूप से ढाणी बना कर निवास कर रहे है तथा सेटलमेन्ट के वक्त सहवन से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया, जो प्रतिवादीगण स्वंय ने स्वीकार किया है। जिससे वादीगण का वाद साबित होता है स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम हुक्मपुरा के खसरा नम्बर 24 रकबा 0.28 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषण किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/9/21

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)